1734

6. औद्योगिक क्षेत्र बनने से ग्राम– ताला गांव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर प्रभावित होगा। कौन सी गांव की मिट्टी कैसी है, रिपोर्ट में नहीं बताया गया है, रिपोर्ट में केवल ध्वनि प्रदूषण मापा गया है। अन्य प्रदूषण की जानकारी नहीं दी गयी है। रिपोर्ट जल्द बाजी में बनायी गयी है। दर्शाया गया आंकडा गलत है।

7. किसान अपनी जमीन दे देगा तो क्या खाएंगा। औद्योगिक क्षेत्र बनने से पशुओं के लिए चारागाह की समस्या उत्पन्न होगी। न ही उपज होगा। हमें अपनी जमीन नहीं देना है।

8. जिन 09 गांवों की जमीन को पथरीली बताई गयी है। वह गलत है। वहां पर बहुत संख्या में पेड़–पौधे हैं तथा इस क्षेत्र में दो फसली खेती की जाती है। औद्योगिक क्षेत्र लगना चाहिए। लेकिन किसानों की निजी भूमि को अधिग्रहण करना उचित नहीं। कृषि भूमि को औद्योगिक क्षेत्र बनने के लिए नहीं देंगें। जहां भी औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ है। वहां के आसपास के गांवों में अत्यधिक प्रदूषण होता है। जमीन नहीं देंगें।

9. छ.ग. स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. (CSIDC) द्वारा प्रस्तावित परियोजना पूर्णतः गलत तथ्यों पर आधारित है। खेती योग्य एवं निस्तारी के लिये भूमि को बंजर तथा अनुपयोगी माना गया है। यहां तालाब, बांध, हेण्डपम्प, नाला, ट्यूबवेल तथा सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध है। यहां कोई ऐसी जमीन नहीं है जहां खेती न होती हो। प्रस्तावित उद्योग से पर्यावरण को भारी नुकसान होगा इससे निकलने वाले धुएं तथा अपशिष्ट पदार्थ से हमारा जीवन दूभर हो जायेगा।

10. निजी/कृषि भूमि का अधिग्रहण औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु नहीं दिया जाए।

11. ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत् हरे–भरे पेड–पौधे को काटने से यहां का पर्यावरण खराब होगा।

12. औघोगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए जिन ग्रामों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है यहां के रहवासियों के निस्तार एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के संदर्भ में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई है।

लोक सुनवाई के दौरान भी जनसामान्य द्वारा आपत्ति/विचार दर्ज कराई गयी। जो कि संलग्न है। लोक सुनवाई में जनसामान्य की उपस्थिति लगभग 450 रही। उपस्थित जनसामान्य द्वारा औघोगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु निजी स्वामित्व की भूमि देने से भारी विरोध करते हुए उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज करने से इंकार किया गया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त की गई।

(जॉन लकड़ा)
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर

(डॉ. कमल प्रीत सिंह)
अपर कलेक्टर,
(कलेक्टर प्रतिनिधि)
बिलासपुर